

1

**Government of Rajasthan**  
**Department of Women & Child Development**

No. F. 16(1)(14) DWE/W.ATTRO//2007/ 5083

Jaipur, Dated 7/31/09

**NOTIFICATION**

In supersession of this Department notification No. F 16(1)(14)DWE/W.ATTRO/ 2007/3548 dated 21-02-08 and No. 16(1)(14) DWE/W.ATTRO/2007/10381 dated 11-04-08 and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 8 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (Central Act, No 43 of 2005) the State Government hereby appoints all the Dy. Directors (ICDS), Women and Child Development Department, all the Child Development Project Officers and all the Prachetas as Protection Officers for their respective jurisdiction. The Protection Officers so appointed shall exercise the powers and perform the duties conferred on them by and under the Act in their respective jurisdiction.

By Order

  
(Dr. Sarita Singh)

Secretary to the Government

No. F. 16(1)(14) DWE/W.ATTRO//2007/ 5084-883

Jaipur, Dated 7/31/09

Copy to the following form information and necessary action-

- 1- Principal Secretary to HE the Governor, Rajasthan, Jaipur.
- 2- Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan.
- 3- PS to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
- 4- All Pr. Secretaries/Secretaries/Spl. Secretaries.
- 5- Director General of Police, Rajasthan, Jaipur
- 6- Registrar, Rajasthan High Court, Jaipur, Jodhpur
- 7- Commissioner, Women Empowerment, Rajasthan, Jaipur
- 8- All Divisional Commissioners, Rajasthan
- 9- All District Collectors, Rajasthan
- 10- All District Superintendent of Police, Rajasthan
- 11- Director, ICDS, Rajasthan, Jaipur
- 12- All Dy. Directors, ICDS, WCD
- 13- All CDPOs (Protection Officers under PWDV Act)
- 14- All Prachetas (Protection Officers under PWDV Act)
- 15- All Service Providers registered under PWDV Act.
- 16- All Shelter Homes notified under PWDV Act.
- 17- Supdt. Central Government Press, Jaipur alongwith five copies for publication in Extra Ordinary Gazette.
- 18- Guard File

  
Additional Director

राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक :- एफ 16 (1) (14) निमअ/म.उत्पी./2007/3584 जयपुर, दिनांक:- 21.2.08

आदेश

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत निम्न संस्थानों को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	जिले का नाम	नम्बर	संस्था का नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या	पता	दूरभाष/मोबाईल न.	विशेष विवरण
1.	गंगानगर	1	मानव कल्याण समिति	95/श्री गंगानगर/1988-89	सूरतगढ रोड, राजकीय धिकित्सालय के पीछे, श्री गंगानगर	0154-2473274	
2.	राजसमन्द	2	गांधी सेवा सदन	25/1956-57	कल्पना कुज, राजसमन्द	02952-220425, 223125 FAX 221325	
		3	रचना संस्थान, सालोदा	27/राजसमन्द/93-94	गांव एवं पोस्ट सलोदा, वाया खमनोर, राजसमन्द	02953-285588	
		4	राजसमन्द जन विकास संस्थान	10/2003	सुरभी कॉम्प्लेक्स के सामने, नाथद्वारा, कांकरोली जिला राजसमन्द	02952-221909	
3.	झुंझुनू	5	शिक्षित रोजगार केन्द्र प्रबन्धक समिति 1/129 हाउसिंग बोर्ड झुंझुनू	50/झुंझुनू/87-88	हाउसिंग बोर्ड झुंझुनू	01592-234664, 517567	FCC
4.	जयपुर	6	शिल्पायन प्रशिक्षण संस्थान, 4/5 एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर	525/97/जयपुर	खुली जेल सांगानेर जयपुर	0141-2395529	FCC
		7	राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्थान	417/82-83	बी-182 बापू नगर	0141-2710039	FCC

		8	महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र (विशाखा) फाजी	133/90-91	पदमावती मेशल फाजी थाने के समीप	9352088129	
5.	भरतपुर	9	महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र (विशाखा)	133/90-91	महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र, महिला थाना परिसर, पुलिस ग्राउण्ड के सामने, अलवर	9352088124	
6.	बांसवाडा	10	दिशा समिति	02/बांसवाडा /5-6	दिशा समिति बांसवाडा	02962-250218	
		11	स्वीट संस्थान	17/91/बांसवाडा	स्वीट संस्थान बांसवाडा	02962-255125	
7.	करीली	12	सोसायटी फॉर सरस्टेनेबिल डवलमेन्ट	07/सवाईगाधो पुर/ 94-95	जगदम्बा कौलोनी	07464-250288	
8.	कोटा	13	श्री करणी नगर विकास समिति	152-1978	गोवर्धनपुरा कोटा	0744-2363740	FCC
		14	पण्डित दिनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान	31/1995	दादाबाडी विस्तार कोटा	0744-3235616	FCC
9.	सीकर	15	महिला चेतना मण्डल समिति	4/सीकर 95-96	तहसील नौम का थाना सीकर	9214740930	FCC
10.	उदयपुर	16	अरावली अनुसंधान एवं विकास सोसायटी	71/उदयपुर/ 95-96	सर्वे रितु विकास उदयपुर	0294-2489597	FCC
		17	महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र (विशाखा)	133/90-91	हाथीपोल थाना परिसर, हाथीपोल, उदयपुर	9352088130	
11.	जोधपुर	18	महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र (विशाखा)	133/90-91	महिला थाना परिसर, शहर पुलिस लाइन, रतनाडा, जोधपुर	9352088128	
		19	मीरा संस्थान	193/76-77 जोधपुर	बख्तावर मलजी का बाग घोपासनी रोड जोधपुर	0291-2434166 FAX - 291-2611775	
12.	हनुमानगढ	20	राम मनोहर लोहिया विद्यालय समिति	73/69-70	पाठ 19 हनुमानगढ टाउन	01552-230515	FCC
13.	अलवर	21	महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र (विशाखा)	133/90-91	महिला थाना, मोती डूंगरी, अलवर	9352088123	
14.	बीकानेर	22	महिला सलाह एवं	133/90-91	महिला थाना	9352088126	

			सुरक्षा केन्द्र (विशाखा)		परिसर पवनपुरी नागदेव जी के मन्दिर के पास बीकानेर		
15.	भीलवाडा	23	महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र (विशाखा)	133/90-91	महिला पुलिस थाना नियंत्रण कक्ष भवन, पास में रेलवे स्टेशन, भीलवाडा	9352088125	

इनके पंजीकरण प्रमाण पत्र पृथक से जारी किये जा रहे हैं।


  
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 16 (1) (14) निमअ/म.उत्पी./2007/35-85-3985 जयपुर, दिनांक:- 21.2.08

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया राज0 सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मंत्री महोदय महिला एवं बाल विकास विभाग राज0 सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव राज0 सरकार, जयपुर।
5. पुलिस महानिदेशक, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राज0 सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 सरकार, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 सरकार, जयपुर।
11. सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।
12. सचिव, राज्य महिला आयोग, जयपुर।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
14. सचिव, समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर।
15. समस्त जिला कलेक्टर
16. समस्त जिला जज

- 5
17. समस्त ज्यूडिशयल मजिस्ट्रेट
  18. समस्त पुलिस अधीक्षक
  19. समस्त जिला प्रमुख
  20. समस्त जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला महिला सहायता समिति
  21. समस्त सी. एम. एच. ओ. / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
  22. समस्त परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण
  23. समस्त उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं
  24. समस्त प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
  25. समस्त ब्लॉक स्वास्थ्य केन्द्र
  26. समस्त आश्रय गृह
  27. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता।

  
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्र.सं. 19(1)(200)/मविका/07/ 32338

जयपुर, दिनांक 14-8-20

### आदेश

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत निम्नलिखित संस्थाओं को निम्न शर्तों के अधीन सेवाप्रदाता के रूप में एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है:-

1. यह पंजीयन केवल घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत व्यथित महिलाओं को निर्धारित सेवाएँ प्रदान करने हेतु है। किसी अन्य कारण से इस पंजीयन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
2. सेवाप्रदाता के रूप में संस्था को न्यायालय, पुलिस या संरक्षण अधिकारियों से व्यथित महिलाओं के प्रकरण प्राप्त होंगे और व्यथित महिलाओं की आवश्यकतानुसार/न्यायालय के निर्देशानुसार संस्था को सेवाएँ प्रदान करनी होंगी।
3. संस्था से किसी एक या दो व्यक्तियों को, विशेषकर महिलाओं को परामर्शदाता के रूप में सूचीबद्ध करने हेतु जिला संरक्षण अधिकारी (परियोजना निदेशक) को भिजवाए जाएंगे ताकि न्यायालय उक्त व्यक्तियों को किसी प्रकरण में परामर्शदाता नियुक्त कर सके।
4. सेवाप्रदाता संस्था के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को जब भी प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जायेगा वे ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेंगे।
5. यदि किसी कारण संस्था सेवाप्रदाता के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं तो इसकी सूचना संस्था द्वारा निदेशालय महिला अधिकारिता, जिला कलक्टर, संबंधित

परियोजना निदेशक (जिला संरक्षण अधिकारी), पुलिस अधीक्षक व न्यायालयों को देनी होगी।

6. यदि किसी समय यह पाया गया कि संस्था द्वारा सेवाप्रदाता के रूप में संतोषप्रद कार्य नहीं किया जा रहा है अथवा किसी अन्य प्रकार से संस्था को उक्त कार्य के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो राज्य सरकार संस्था का सेवाप्रदाता के रूप में पंजीयन समाप्त कर सकेगी।

जिला	क्र. सं.	सेवाप्रदाता संस्था का नाम व पता	संस्था रजिस्ट्रेशन संख्या	सम्पर्क
1	2	3	5	6
चित्तौड़गढ़	1	विशाखा, महिला सुरक्षा केन्द्र नौयर एस.टी./एस.सी कॉलेज, कलेक्ट्रेट	133/जयपुर/90-91	9352088127
	2	नवाचार संस्थान, सुधीरपुरम, रेलवे स्टेशन के पास, कपासन, चित्तौड़गढ़	33/चित्तौड़/1988	9413315713
	3	संकल्प संस्था, आकोला, बस स्टैंड के पास, आकोला, जि. चित्तौड़गढ़	133/चित्तौड़/03-04	9829463171
अजमेर	4	विशाखा, महिला सुरक्षा केन्द्र, महिला थाना, अलवर गेट, अजमेर	133/जयपुर/90-91	9352088122
	5	भारतीय मानव सहायता संस्थान,	15/अजमेर/94-95	0145-2660107
झालावाड़	6	संकल्प सेवा समिति सिविल लाईंस, झालावाड़	21/झालावाड़/97-98	9414189221
टोंक	7	आकाशपूज महिला विकास समिति, 2 क 30, विज्ञान नगर, कोटा	76/कोटा/96-97	014232-247525
नागौर	8	विदेकानंद शिक्षण एवं वेलफेयर सोसायटी, नागौर	58/नागौर/99-2000	01522-245299 9414118125
करीली	9	एकट बोधग्राम बंशी का बाग, गंगापुर मोड़, करीली	67/अजमेर/87-88	
कोटा	10	आदर्श महिला विकास समिति, गली नंबर 7, महात्मा गांधी कॉलोनी, मालफाटक, कोटा	188/कोटा/2000	0744-2466721 9413652384
हनुमानगढ़	11	किशोरीलाल मेमोरियल विद्या मंदिर समिति, फतेहगढ़, हनुमानगढ़	145/श्रीगंगानगर/91-92	01552-272020 9929229633
	12	गुरु तेगबहादुर पब्लिक स्कूल समिति, सुरेवाला टिब्बी, हनुमानगढ़	19/हनुमानगढ़/97-98	
दौसा	13	सोशियल डेवलपमेंट सोसायटी, खटीकान महोल्ता, महेश प्रिंटर्स के पास, वार्ड नंबर 18, दौसा	295/जयपुर/96-97	01427-223224 9828093825
	14	दीप विद्या मंदिर समिति, गायत्री नगर, दौसा	45/दौसा/92-93	01427-224782 9414035821
	15	आदर्श सरोज विद्या मंदिर समिति, नागल राजावतान, दौसा	35/दौसा/91-92	01427-282312 9413331126
	16	केंद्रिज शिक्षण संस्थान, सैथल घौराहा बाईपास, आगरा रोड, दौसा	28/दौसा/01-02	01427-223002 9887777707
	17	संकल्प विकास संस्थान, 6/154, विदेकानंद कॉलोनी पंचायत समिति रोड, दौसा	109/दौसा/01-02	01427-223364 9414271682

	18	ग्रामीण विकास युवा संस्थान, मधुवन बिहार कौलोनी, सैथल रोड, दौसा	47 / दौसा / 96-97	01427-220533 9950066641
	19	ग्रामीण विकास युवा मंडल, ग्रा.पो. ऊनबड़ा गांव, डा. कांच, वाया बांदीकुई	68 / दौसा / 1997	01420-242504
बांसवाड़ा	20	गीता ज्ञान संस्थान बांसवाड़ा	73 / बांसवाड़ा / 04-05	
	21	मातृ दर्शन शिक्षा समिति, चारभुजा मंदिर के पास, मारु कुमावत समाज का नौहरा, खेरादीवाड़ा, उदयपुर	419 / उदयपुर / 84-85	9414165287
	22	साधना सोसायटी सुभाषनगर गली नं.5 बांसवाड़ा	3 / उदयपुर / 02-03	9414490073
उदयपुर	23	हिन्द सेवा संस्थान, हवा मगरी, गोकर्ण विलास, सेक्टर-14, उदयपुर	98 / उदय / 2000	0294-2484046 9413026631
	24	त्रिमूर्ति शिक्षा प्रसार समिति, मनवाखेड़ा, एकलिंग पुरा, उदयपुर	126 / उदय / 1987	0294-2482695 9460448043
	25	लोक विकास समिति, 08, धौलीमगरी, पानेरियों की मांदडी, उदयपुर	81 / उदय / 1987	0294-2464767 9928510405
	26	परिश्रम सेवा संस्थान, ऋषभदेव	186 / उदय / 04-05	9414759225
	27	मानव रोजगार क्षमता विकास समिति, 156, रूपनगर, हिरणमगरी, सेक्टर-3, उदयपुर	77 / उदय / 2000-01	0294-2425647 9413318647
	28	सिन्धी पंचायत, हिरणमगरी, उदयपुर	233 / उदय / 82-83	0294-2462212
	29	सांखला एजुकेशन सोसायटी, प. नाथी मार्ग, ब्रहमपोल अंदर, उदयपुर	69 / उदय / 97-98	0294-2431262 9352522026
	30	आदिवासी विकास एवं सेवा समिति, गरणवास, पो.आ. सोम, तह. झाडील	33 / उदय / 1986	9982467212
	31	नारी चेतना संस्थान, 97, पंचवटी, उदयपुर	31 / उदय / 94-95	0294-2421559 9414165550
	32	अर्पण सेवा संस्थान, 104, पुलिस लाईन टेंकरी, उदयपुर	19 / उदय / 93-94	9887114909
	33	महिला विकास संस्थान, 107, हवामगरी, गोकर्ण विलास, उदयपुर	216 / उदय / 01-02	0294-2811886 9887594708
	34	मेवाड जनजाति कल्याण सोसायटी, 312, चाणक्यपुरी, सेक्टर-4, उदयपुर	189 / उदय / 99-2000	0294-2464883 9414403844
	35	इंडियन सोसायटी, केलवा हाउस, बिच्छूघाटी, उदयपुर	137 / उदय / 91-92	9829790497
	36	शांतिपीठ संस्थान, गुमानियावाला, सरदारपुरा, उदयपुर	20 / उदय / 86-87	0294-2413783
	37	आकाश सेवा संस्थान, सियारपुरा, लखावली, उदयपुर	51 / उदय / 04-05	0294-2442308 9460729226
	38	खेतिहर मजदूर आघार समिति, भेवला डिपो के पास, NH-8, खैरवाड़ा	211 / उदय / 99-2000	9982046476
	39	एपेक्स शिक्षण संस्थान, नई आबादी, मावली, उदयपुर	294 / उदय / 01-02	9829216893
	40	अरुणोदय संस्थान, 83, सेक्टर-14, उदयपुर	100 / उदय / 96-97	0294-5122631
	41	सृजक संस्थान, 225, मोतीमगरी स्क्रीम, उदयपुर	132 / उदय / 03-04	0294-2527357
	42	भारतीय शोध संस्थान, त्रिमूर्ति कॉम्प्लेक्स, मनवाखेड़ा, उदयपुर	81 / उदय / 2003	9214465408
	43	श्री आसरा विकास संस्थान, च-16, विनायक मार्ग, सेक्टर-5, उदयपुर	256 / उदय / 2001-02	0294-2464729 9828242855
	44	राजपुरोहित सेवा संस्थान, 101, सेन्ट्रल एरिया, उदयपुर	135 / उदय / 00-01	0294-2486165 9829094611
	45	मंगलमूर्ति इंदिरागांधी जनता कॉलेज, डबोक	44 / उदय / 86-87	0294-2655223
	46	ग्रामीण विकास संस्थान, नई आबादी, मावली, उदयपुर	232 / उदय / 2005	9414602966
	47	नारी उत्थान सेवा समिति, म.नं. 74, खाजीपीर, उदयपुर	47 / उदय / 95-96	9352507069



	48	डिवाइन मदर सोसायटी, न्यू फतेहपुरा, उदयपुर	40/उदय/94-95	0294-3297546 9413317851
चूरु	49	भौरुका चैरिटेबल ट्रस्ट, भौरु ग्राम, तहसील राजगढ़, जिला चूरु	ई-2341/बाम्बे/1962	01559-284430
	50	मानवधिकार एवं उपभोक्ता संरक्षण समिति वार्ड नं० 21 रेलवे होम सिगनल के पास चूरु	27/चूरु/02-03	252802 9414465242
	51	मरुदेश संस्थान, श्री दिगम्बर जैन मंदिर के पास, सुजानगढ़	21/चूरु/03-04	01568-225100
	52	महिला विकास संस्थान, जाट बौडिंग के पास, रतनगढ़	35/चूरु/96-97	01566-223255 9414990628
भरतपुर	53	सहयोग शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर	66/भरतपुर/90-91	05644-225153
	54	मदर टेरेसा अनाथ सेवा समिति, त्रिवेणी हाउस विकास नगर, अपोजिट न्यू हॉस्पिटल, भरतपुर	214/भरतपुर/01-02	05644-221462 9414650967
	55	दीन सेवा संस्थान, पुरानी सब्जी मंडी, भुसावर	30/भरतपुर/89-90	9887950311 9314269988
	56	एच.एस.पी. शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, बनजी, सेवर, भरतपुर	63/भरतपुर/1991	9982604845 9414714513
	57	एस.के.शिक्षा समिति, विधाना सेवर, भरतपुर	70/भरतपुर/99-2000	9456800303 9887724519
	58	रुरल आर्गेनाइजेशन फॉर आलराउंड डवलपमेंट सोसायटी, कामा बाईपास रोड, डींग	34/भरतपुर/93-94	05641-220263 9414711769
	59	अग्रवाल निकेतन शिक्षण संस्थान, बैर, भरतपुर	80/भरतपुर/97-98	9413916137 9828852168

इन संस्थाओं के पंजीकरण प्रमाण पत्र पृथक से जारी किये जा रहे हैं।



शासन सचिव  
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्र.सं. 19(1)(200)/मविका/07 / 32339-499.

जयपुर, दिनांक 4-8-08

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री महो. राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मा.मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर।
5. पुलिस महानिदेशक, जयपुर।
6. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, महिला अधिकारिता एवं कल्याण, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज., जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. सरकार, जयपुर।

11. सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।
12. सचिव, राज्य महिला आयोग, जयपुर।
13. निदेशक, आई.सी.डी.एस., जयपुर।
14. संबंधित जिला कलक्टर
15. संबंधित पुलिस अधीक्षक
16. संबंधित प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम.एच.ओ.)
17. समस्त परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण एवं उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस. को भेजकर लेख है कि वे अपने जिले से संबंधित सभी पंजीकृत सेवाप्रदाता संस्थाओं (पूर्व एवं वर्तमान आदेशों के अंतर्गत पंजीकृत) में कार्यक्षेत्र निर्धारित कर तत्संबंधी सूचना एवं क्षेत्र में सेवाप्रदाताओं की सूची न्यायालयों सहित सभी संबंधितों को दें। यह कार्यवाही सेवाप्रदाता संस्थाओं से विचार-विमर्श तथा जिला महिला सहायता समिति के अनुमोदन से की जानी अपेक्षित है।
18. समस्त प्रभारी अधिकारी, अधिसूचित आश्रयगृह
19. रक्षित पत्रावली



अतिरिक्त निदेशक  
निदेशालय महिला अधिकारिता

राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक:- एफ 16 (1) (14) निमअ/म.उत्पी./2007/ 8027 जयपुर, दिनांक:- 25.3.08

अधिसूचना

राज्य सरकार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 43) (The Protection of women from Domestic Violence Act 2005) की धारा 2 (i) के अनुसरण में निम्नांकित आश्रय गृहों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एतद् द्वारा आश्रय गृह अधिसूचित करती है।


(क) राजकीय संस्थाएं

1	राज्य महिला सदन,	1. राज्य महिला सदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोन-33 सेक्टर-3, शिकारपुरा रोड रामसिंहपुरा, प्रताप नगर, जयपुर
2	नारी निकेतन	2. नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, लौहगल रोड, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के पास, अजमेर
		3. नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला थाने के पास, विज्ञान भवन, बीकानेर
		4. नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पुराना बाईपास, चित्रकूट नगर, उदयपुर
		5. नारी निकेतन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मण्डोर रोड, मण्डोर थाने के पीछे जोधपुर

## (ख) गैर शासकीय संस्थाएं

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	संचालित केन्द्र का पता
01.	जिला-जयपुर शक्ति स्तम्भ (रूवा), राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्थान, बी -182-ए, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर	संस्था परिसर
02.	जिला-उदयपुर सेवा मंदिर, ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर	7, घेतक सर्किल जीवन निवास के पीछे जी.पी.ओ उदयपुर
03.	जिला -कोटा श्री करनी नगर विकास समिति, गोरधनपुरा, कोटा	आश्रय झालावाड रोड कोटा
04.	सहित जनकल्याण समिति, झाला हाउस के सामने, सूरजपोल, कोटा	भामाशाह रोड प्रेम नगर, कोटा
05.	जिला-चित्तौड़गढ़ टैंगार ग्रामीण उत्थान समिति, प्लॉट न. 20 विज्ञान नगर, मस्जिद रोड, कोटा	आदर्श नगर, नियर पेट्रोल पम्प, रावतभाटा चित्तौड़गढ़
06.	जिला-बारा नवोदय लोक कल्याण समिति, 1-जी-41, महावीर नगर विस्तार, कोटा (वास्ते- बारा)	आदिनाथ विद्यालय परिसर, कृष्णा नगर कोटा रोड बारा
07.	जिला - डूंगरपुर महिला ग्रामीण विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, घूमटा बाजार, डूंगरपुर	घोबोसा समाज का नोहरा मौहल्ला घाटी डूंगरपुर

यह अधिसूचना तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,  
  
(सरिता सिंह)  
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 16 (1) (14) निनअ/म.उत्पी./2007/४०२६-६२७ जयपुर, दिनांक:-२५.३.०४

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज० सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, महोदय राज० सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मा.मन्त्री महोदय महिला एवं बाल विकास विभाग राज० सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव राज० सरकार, जयपुर।
5. पुलिस महानिदेशक, जयपुर।

6. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग राज० सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राज० सरकार, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज० सरकार, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राज० सरकार, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज० सरकार, जयपुर।
11. सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।
12. सचिव, राज्य महिला आयोग, जयपुर।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
14. सचिव, समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर।
15. समस्त जिला कलेक्टर
16. समस्त जिला जज
17. समस्त ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट
18. समस्त पुलिस अधीक्षक
19. समस्त जिला प्रमुख
20. समस्त जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला महिला सहायता समिति
21. समस्त सी. एम. एच. ओ. / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
22. समस्त परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण
23. समस्त उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं
24. समस्त प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
25. समस्त ब्लॉक स्वास्थ्य केन्द्र
26. समस्त आश्रय गृह
27. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता।

  
 निदेशक  
 महिला अधिकारिता


**Government of Rajasthan  
Department of Women and Child Development  
Directorate of Women Empowerment**

No.F16(1)(14)DWE/PWDV/MF/2008/ 32717

Jaipur, Dated: 18.8.08

**NOTIFICATION**


In pursuance of clause ( j ) of section 2 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (Central Act No. 43 of 2005), the State Government hereby notifies, all the District Hospitals, Satellite Hospitals, Sub-District Hospitals, Community Health Centres, Primary Health Centres and Dispensaries run by the State Government, as 'medical facility' for the purposes of the said Act.

By order  
  
(Sarita Singh)

Secretary to the Government

No.F16(1)(14)DWE/PWDV/MF/2008/ 32718 - 33518 Jaipur, Dated: 18-8-08  
Copy to the following form information and necessary action-

- 1- Principal Secretary to HE the Governor, Rajasthan, Jaipur.
- 2- Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan.
- 3- PS to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
- 4- All Pr. Secretaries/Secretaries/Spl. Secretaries.
- 5- All Divisional Commissioners, Rajasthan
- 6- All District Collectors, Rajasthan
- 7- Commissioner, Women Empowerment, Rajasthan, Jaipur
- 8- Director, ICDS, Rajasthan, Jaipur
- 9- Director (PH) Medical & Health Services, Raj. Jaipur for circulation among all Health Institutions concerned.
- 10- All Project Directors, DWDA/Dy. Directors, ICDS. They may also please send the copies of the order to all the concerned 'medical facility' in their jurisdiction.
- 11- All CM&HOs
- 12- All CDPOs (Protection Officers under PWDV Act)
- 13- All Prachetas (Protection Officers under PWDV Act)
- 14- All Service Providers registered under PWDV Act.
- 15- All the Shelter Homes notified under PWDV Act.
- 16- Supdt. Central Government Press, Jaipur alongwith five copies for publication in Extra Ordinary Gazette.
- 17- Guard File

  
Additional Director

राजस्थान सरकार  
 प्रशासनिक सुधार विभाग  
 अंश-3

115

क्रम कि: प. 6/32/प्र. सु./अनु-3/97

जयपुर, दिनांक: 5-8-97

:: आज्ञा ::


राज्य में महिलाओं को अधिकतम राहत देने, आवश्यक सहायता देने हेतु जिला स्तर पर महिला संपत्ति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1- | जिला कोलेक्टर   | अध्यक्ष    |
| 2- | पुलिस अधीक्षक   | उपस्थ      |
| 3- | मुद्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट/ न्यायाधीश पारितोषिक न्यायालय { जिस जिले में स्थापित हो } | उपस्थ      |
| 4- | संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग ।   | ...        |
| 5- | कानूनी सहायक-2 {अध्यक्ष द्वारा मनोनीत}  | ...        |
| 6- | प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि-2 {अध्यक्ष द्वारा मनोनीत}                 | ...        |
| 7- | परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिवरण ।  | उपस्थ सचिव |

इस संपत्ति के कार्य निम्न प्रकार रहेंगे :-

- 1- उत्पीड़ित/निराश्रित महिलाओं को तात्कालिक आश्रय, विधिक सहायता प्रदान करना । तात्कालिक सहायता समाज कल्याण विभाग के महिला सदन अथवा जिला कोलेक्टर द्वारा अनुमोदित संस्था के पास जो ऐसी व्यवस्था करने में सक्षम हो, के द्वारा प्रदान की जाएगी ।
- 2- उपस्था विशेष के अन्दर्भ में परामर्श प्रदान करना ।
- 3- उत्पीड़ित/सोपप के प्रकरणों का पुनरीक्षण पर आवश्यक कार्रवाई करना ।

यह एक स्थाई समिति होगी, जिसकी बैठक 3 माह में एक बार अवश्य की जावेगी अथवा जितनी अध्यक्ष महोदय आवश्यक समरे, आयोजित की जावेगी । बैठक में योजना की क्रियान्विति, उपलब्धियों की समीक्षा समस्याएं, सुराज आदि पर विचार विमर्श किया जायेगा । इस समिति का प्रशासनिक विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग होगा ।

आज्ञा से,  
  
 एस. एन. शूण्ड

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं जातपत्रक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, राजस्थान महोदय/ गुणगंधी महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3- मुख्य सचिव, राजो सरकार, जयपुर ।
- 4- जिला कलेक्टर हुसैनपुर
- 5- परिगोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण हुसैनपुर
- 6- समिति के सभी सदस्य समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से
- 7- निदेश एवं शासन उप सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग को  
पत्र क्रमांक 19/285/सचिका/97/43707 दिनांक 24-7-97 के क्रम  
आशा जारी कर 60 प्रतिशत समिति से संबंधित सदस्यों को भिक्षा  
हेतु संलग्न कर प्रेषित है ।
- 8- निदेश, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 9- रक्षित पत्रावली ।

शासन उप



राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार विभाग  
अनुभाग-3


17  
3

संज्ञांक: 40 6 32 29 2 /अ-3/97

जयपुर, दिनांक : 26-8-97


संशोधित आज्ञा

इस विभाग की समसंयुक्त आज्ञा दिनांक 5-8-97 के क्रम में राज्य में महिलाओं को अधिकतम राहत देने, आवश्यक सहायता देने हेतु गठित कमेटी के आदेशों में दूसरी पक्ति में "जिला स्तर पर महिला समिति" के स्थान पर "जिला स्तरीय महिला सहायता समिति" पढ़ा जावे।

आज्ञा से,  
  
एस० एन० धुमड  
गासन उप सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय/मुख्यमंत्री महोदय, राज० जयपुर।
2. मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज० जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर (समस्त)।
5. परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण (समस्त)।
6. समिति के सभी सदस्य (समिति के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से)।
7. निदेशक एवं गासन उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र क्रमांक 19/285 (मदिका/97/48185 दिनांक 16-8-97 के क्रम में आज्ञा जारी कर 60 प्रतिशत शक्ति में संशोधित सदस्यों को भिन्नवाने हेतु अनुरोध कर प्रेषित है।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

  
गासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार विभाग  
{अनुभाग-3}

18

क्रमांक: प. 6/4 प्र. सु. / अनु-3/99

जापुर, दिनांक: - 10-2-99

:: अज्ञा ::

राज्य में महिला उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अविगम्य राहत देने हेतु जिला स्तर पर गठित महिला सहायता समिति के प्रकरणों की राज्य स्तर पर समीक्षा एवं सुझाव हेतु निम्न प्रकार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1- | शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग          | अध्यक्ष    |
| 2- | शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग | सदस्य      |
| 3- | शासन सचिव, श्रम विभाग                        | सदस्य      |
| 4- | शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग                 | सदस्य      |
| 5- | शासन सचिव, शिक्षा विभाग ।                    | सदस्य      |
| 6- | ट्रिफ्लिट शासन सचिव, गृह विभाग               | सदस्य      |
| 7- | उप महा निरीक्षक {महिला अत्याचार सेल}         | सदस्य      |
| 8- | निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग            | सदस्य सचिव |

यह एक थर्ड सचिबत होगी जिसकी बैठक छः माह में एक बार या अर्धवर्ष महोदय जितनी आवश्यक समझे की जाएगी ।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास होगा ।

आज्ञा से,

{ अज्ञा }  
{ अज्ञा }  
शासन उप सचिव

उपरोक्त निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, राज्यपाल महोदय/सुदामाश्री महोदय, राज, जापुर ।
- 2- शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ।
- 3- समिति के सभी सदस्य { प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ।
- 4- उप शासन सचिव एवं निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, राज, जापुर को पत्र क्रमांक 6679 दिनांक 30-1-99 के क्रम में आदेश की 30 प्रतिमाँ समिति के सहायक विभाग को भिजवाने के लिये संलग्न कर प्रेषित है ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ।
- 6- रचित फाइल ।

शासन उप सचिव

## महिलाओं की सभी प्रकार की समस्याओं के लिए आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान .....

दिनांक

### 1. परिचय

1. महिला आवेदक का नाम
2. पत्नि/पुत्री
3. उम्र
4. गांव/मकान न./पूर्ण पता
5. फोन न.
6. कितनी पढ़ी लिखी हैं -
7. ग्राम पंचायत
8. पंचायत समिति
9. संबंधित पुलिस चौकी/थाना
10. जिला
11. अप्रार्थी/दूसरे पक्ष का नाम व पता

आवेदन कर्ता विधवा/परित्यक्ता/एस.सी./एस.टी./अल्प संख्यक/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/विकलांग (जो भी हो लगावें)।

### 2. समस्या पर चिन्ह (✓) लगावें

हिंसा/आपराधिक कृत्य	यौन उत्पीड़न	प्रशासनिक/न्यायिक	भरण-पोषण	अन्य
1. धमकी	1. छेड़छाड़ तथा मौखिक उत्पीड़न	1. संपत्ति विवाद		
2. मारपीट	2. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	2. नौकरी, स्थानान्तरण		
3. घरेलू हिंसा	3. बलात्कार	3. पेंशन		
4. दहेज उत्पीड़न		4. निःशुल्क विधिक सहायता		
5. हत्या		5. राजकीय योजनाओं के लाभ से वंचित		

### 3. समस्या का संक्षिप्त विवरण

.....  
 .....  
 .....

यदि समस्या से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो उल्लेख करें।

4. साथिन द्वारा परामर्श दिया हों/नहीं यदि हो तो परामर्श दिनांक लिखें।

आवेदक के हस्ताक्षर

- यह आवेदन ग्राम पंचायत/आंगनबाड़ी केन्द्र/साथिन/उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है।
- आपको आ रही समस्याओं के संबंध में आवेदन पत्र SHG अध्यक्ष/साथिन/प्रचेता के माध्यम से परियोजना निदेशक जिला महिला विकास अभिकरण जिला...../जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला महिला सहायता समिति/सदस्य सचिव जिला महिला सहायता समिति को लिख कर भिजवाया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत पर कार्यरत साथिन/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहयोगिनी से अविलम्ब चर्चा कर लें।
- 15 दिन तक आपको कोई सूचना प्राप्त न होने पर निदेशक महिला अधिकारिता को सूचित करें।
- आपकी समस्यायें हम तक पहुंचने पर ही हल संभव है।

नारी जगी जगायेगी  
हिंसा दूर भगायेगी।

निदेशालय महिला अधिकारिता  
महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0